अध्याय 10

निष्कर्ष

अध्याय

10 निष्कर्ष

महाकुम्भ मेला जैसे विशाल आयोजन का नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन एक कठिन चुनौती थी। यद्यपि, महाकुम्भ मेला के आयोजन में कुछ सकारात्मक दृष्टांत थे जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित है, फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोजन में कुछ कमियाँ थीं।

मेला का नियोजन वैज्ञानिक मापदण्डों पर आधारित नहीं था। मुख्यतः, विभिन्न विभागों/संस्थाओं के आयोजकों एवं प्रबन्धकों के मध्य उद्देश्यों के एकीकरण एवं समन्वय का अभाव था क्योंकि मेला हेतु कोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं तैयार किया गया था। त्रुटियों/कमियों के सूचकों के प्रति प्राधिकारीगण संवेदनशील नहीं थे।

वित्तीय प्रबन्धन उचित प्रकार से नियोजित नहीं किया गया था। भारत सरकार से की गयी धनराशि की माँग वास्तविक नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुम्भ मेला में हुए सम्पूर्ण व्यय का मात्र एक प्रतिशत ही राज्यांश के रूप मे व्यय किया गया था। निधियों के प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी तथा इसकी निगरानी हेतु कोई नोडल अधिकारी नहीं था जो उचित वित्तीय रूपरेखा प्रदान करता। निधियों के जारी करने में हुए विलम्ब के प्रकरण प्रकाश में आये जिसमें कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किया गया तथा कार्य समय से प्रारम्भ भी नहीं किये गये थे।

कार्यों के सम्पादन एवं क्रयों हेतु निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियों को प्राप्त करने के पूर्व कार्य प्रारम्भ किये गये तथा तकनीकी स्वीकृतियों को प्राप्त करने के पूर्व ही निविदायें आमंत्रित की गयीं एवं अनुबन्धों का गठन किया गया। निविदाओं के आमंत्रण में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं उचित प्रकाशन का अभाव था। मेला हेतु अधिकांश कार्य/आपूर्तियाँ 14 जनवरी 2013 के पूर्व तक पूर्ण नहीं हुई थीं। ऐसे निर्माण कार्य जिनकी आवश्यकता मेला हेतु नहीं थी उन पर भी महाकुम्भ हेतु प्राप्त निधियों से व्यय किया गया। इन्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देशों, शासन/प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

यातायात योजना व्यापक ढंग से नहीं बनायी गयी थी तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को जन साधारण में प्रसारित करने की व्यवस्था का अभाव था। जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित थी। अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव सम्बन्धी कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। समस्त कल्पवासियों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। जिन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया, उन्हें यह विलम्ब से दिया गया। मेला क्षेत्र में उचित दर की दुकानों एवं अन्य दुकानों के द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जाँच, अधिकांशतः नहीं की गयी थी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को क्षति होने से बचाव हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु वांछित क्षमता विकसित नहीं की गयी थी। वायु, भूमि तथा जल निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित हुए।

निर्धारित जाँच एवं निरीक्षण के अभाव में गुणवत्ता आश्वासन एवं ग्राहकों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हुई।

श्रम कानूनों को लागू नहीं किया गया। पर्याप्त कानूनों एवं अर्न्तराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के बावजूद, निःशक्त व्यक्तियों एवं महिलाओं के प्रति प्राधिकारीगण संवेदनशील नहीं थे। साक्ष्यों के रख–रखाव एवं अभिलेखीकरण में कमी पायी गयी थी।

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 30 अप्रैल 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक - 2 मई 2014